Website-http://ukwms.org
E-mail-ceouk@wakf.gov.in

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड
अल्पसंख्यक कल्याण भवन, भगत सिंह कालोनी, देहरादून 248001

पत्रांकः–1565/उ0व0बोर्ड/101–सी.ई.ओ.(E-18007)/2024–25 दिनांक– 29 मार्च, 2025

विज्ञप्ति

शासन के पत्र संख्या–213/XVII-B-1/2025–07(31)/2004 दिनांक–27 मार्च, 2025 के अनुपालन में वक्फ अधिनियम, 1995 (संशोधित अधिनियम, 2013) की धारा–23 की उपधारा–1 के प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद को पूर्णकालिक प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानानतरण के आधार पर भरे जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

2– उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर कार्य करने के इच्छुक राजपत्रित मुस्लिम अधिकारी जो उत्तराखण्ड राज्य के शासकीय विभागों में पुराने वेतनमान ₹15600–39100 ग्रेड वेतन ₹7600/–में कार्यरत हो (ए.सी.पी. मान्य नही), उप सचिव स्तर से कम का न हो, जिनका सेवाकाल सुस्पष्ट, निर्बाध्य हो एवं सेवा सम्बन्धी न्यायालय में प्रकरण नही होना चाहिए तथा अनुशासनात्मक या विभागीय कार्यवाही प्रचलित नही हो। अपना सुस्पष्ट आवेदन पत्र अपने सेवा विवरण, कार्यानुभव एवं विभागीय एन.ओ.सी. सहित उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड स्थित–अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, देहरादून में स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से **दिनांक–11 अप्रैल, 2025 की सांय 05.00 बजे** तक उपलब्ध करा सकते है।

Signed by
Syed Shiraz Usman
Date: 29-03-2025 11:34:55

(एस.एस.उस्मान)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

<u>पृष्ठांकन संख्या–1565 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन को पत्र संख्या–213/XVII-B-1/2025–07(31)/2004 दिनांक–27 मार्च, 2025 एवं पत्र संख्या–219/XVII-B-1/2025–07(31)/2004 दिनांक–28 मार्च, 2025 के अनुपालन में।
2. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त विज्ञप्ति को समस्त अधिष्ठानों की विभागीय वैबसाईट पर भी प्रर्दशित कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. सम्पादक, हिन्दुस्तान एवं अमर उजाला, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त विज्ञप्ति को 10X12 सेमी के कॉलम में सम्पूर्ण उत्तराखण्ड संस्करण में शासकीय दरों पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
4. विभागीय वैबसाईट में प्रर्दशित कराने हेतु।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी।